

राँची समाहरणालय राँची

(विकास शाखा)

कार्यलय आदेश

माननीय श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, सांसद (राज्य सभा) द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, राँची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उपायुक्त, राँची द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति निर्माकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयत भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन एवं निर्माण कार्य जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, राँची के द्वारा कराया जायगा एवं कार्य को 03 (तीन) माह के अन्दर पूर्ण करना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृति प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, राँची के द्वारा किया जायगा। वे अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करायेंगे।
6. कार्यान्वयन एजेन्सी स्वीकृत राशि उप विकास आयुक्त, राँची से प्राप्त करेंगे। एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए तुरन्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्क० राशि (लाख में)	अनुशंसित राशि (लाख में)	विमुक्त राशि 50 प्रतिशत (लाख में)
1	क्षणापुरी चुटिया रोड नं०-10 में पी०सी०सी० पथ निर्माण	4.50	4.50	2.25

2.25

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:- 4.50 (कुल चार लाख पचास हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:- 2.25 (कुल दो लाख पचीस हजार रुपये मात्र)

नोट:- 1. योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,
राँची।

ज्ञापक..... 465/11/वि० दिनांक... 05/05/10

प्रतिलिपि:- माननीय सांसद श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, जिला अभियन्ता, जिला परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा, राँची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
राँची।

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, द्वारा अनुशंसित निम्न योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति उपायुक्त रांची द्वारा प्रदान कर प्राक्कलित राशि का 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई थी। जिला अभियन्ता, जिला परिषद! रांची द्वारा दिये गए कार्य की मापी पुस्तिका के आधार पर आगे का कार्य पूर्ण करने हेतु अवशेष राशि विमुक्त करने की स्वीकृति उपायुक्त रांची द्वारा दी गई है।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	पूर्व में विमुक्त की गई राशि	विमुक्त की जानेवाली राशि (लाख में)
1.	रांची वार्ड नं०-6 में चेशायर होम रोड से मंगलम गैराज हॉल होते हुए पक्की सड़क तक पी०सी०सी० पथ का निर्माण	10.00	10.00	5.00	5.00

कुल:-

प्रशासनिक स्वीकृत राशि-10.00 (कुल दस लाख रुपये मात्र)

विमुक्त राशि- 5.00 (कुल पाँच लाख रुपये मात्र)

5.00

नोट:- 1- योजनाओ का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

608

उप विकास आयुक्त,
रांची।

ज्ञापांक 251(11) / रांची दिनांक: 19.3.10

प्रतिलिपि:- माननीय सांसद श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, / जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
रांची।
19/3/10

रांची समाहरणालय, रांची
(विकास शाखा)
कार्यालय आदेश

माननीय सांसद श्री जय प्रकाश नारायण सिंह द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत अनुशंसित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई थी। योजना के प्रगति को देखते हुए अवशेष राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	पूर्व में विमुक्त की गई राशि	वर्तमान में विमुक्त की जानेवाली राशि	एजेन्सी का नाम
1.	किशोरगंज रोड नं०-7/1 में नाली निर्माण	2.00	1.00	1.00	कार्यपालक अभियंता, एन० आर०ई०पी०-II रांची
कुल:-				1.00	

वर्तमान में विमुक्त राशि-1.00(कुल एक लाख रुपये मात्र)

उपायुक्त, रांची के आदेशानुसार,

Eol-

उप विकास आयुक्त,
रांची।

ज्ञापांक 389 / रांची दिनांक: 16/04/10

प्रतिलिपि:- माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री जय प्रकाश नारायण सिंह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, एन० आर०ई०पी०-II, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, जिला विकास शाखा, रांची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

af
उप विकास आयुक्त,
रांची।

